न्यायालय सिविल जज जू0डि0, मऊ, चित्रकूट।
मूल वाद संख्या–26/2019
सी0एन0आर0 नम्बर यू0पी0सी0एच0120002602019

सुमित्रा उर्फ मिन्ता देवी **बनाम** **श्रीमती इन्द्रा देवी आदि**

17.07.2020:–

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित आये। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को वाद बिन्दु सं0 03 व 04 पर सुना गया।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0 3:–

वाद बिन्दु सं0 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद अल्प मूल्यांकित है। यह वाद बिन्दु प्रतिवादी पक्ष के अभिवचन पर आधारित है जिसे साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर है। प्रतिवादी पक्ष का अभिकथन है कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन बहुत ही कम किया गया है। वादी पक्ष का अभिकथन है कि वाद का मूल्यांकन नियमानुसार किया गया है। वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन विवादित भूमि के वार्षिक लगान के आधार किया गया है। वादी द्वारा किया गया मूल्यांकन पर्याप्त प्रतीत होता है। तदनुसार वाद बिन्दु सं0 3 नकारात्मक रूप से विरूद्ध प्रतिवादी पक्ष निस्तारित किया जाता है।

(सुमित कुमार)
सिविल जज जू0डि0
मऊ, चित्रकूट।
आई0डी0 नं0– यू0पी02315

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–4:–

वाद बिन्दु संख्या 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनो के आधार पर विरचित किया गया है जिसे साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रतीत होता हो कि वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है। वाद बिन्दु संख्या 3 के निस्तारण पर यह निर्णीत हो चुका है कि वादी द्वारा वार्षिक लगान के आधार पर किया गया मूल्यांकन पर्याप्त है। वादी द्वारा यह वाद वास्ते बैनामा मंसूखी व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है। वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क उचित व नियमानुसार है।

अतः वाद बिन्दु संख्या 4 वादी के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादी निर्णीत किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 21.08.2020 को पेश हो।

(सुमित कुमार)
सिविल जज जू0डि0
मऊ, चित्रकूट।
आई0डी0 नं0– यू0पी02315